



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-29052026-272945  
CG-OR-E-29052026-272945

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2616]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2616]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व तट रेलवे)

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 8 मई, 2026

(रेलवे अधिनियम एक हजार नौ सौ नवासी की धारा बीस ए के तहत सूचना)

का.आ. 2709(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, ओडिशा राज्य के खोर्दा जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर निराकारपुर(NKP)-भुसंडपुर(BSDP) स्टेशनों के बीच KM 485/25-27 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 221 का निर्माण।", इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) तहसीलदार, टाँगी को खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर निराकारपुर(NKP)-भुसंडपुर(BSDP) स्टेशनों के बीच KM 485/25-27 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 221 के निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20घ की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् ओडिशा राज्य के खोर्दा जिले में “खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर निराकारपुर(NKP)-भुसंडपुर(BSDP) स्टेशनों के बीच KM 485/25-27 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 221 का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम:- खुर्दा

अनुलग्नक-1

भूमि अनुसूची						
परियोजना का नाम:-आर.ओ.बी-221 का निर्माण						
जिले का नाम:-खुर्दा, प्रभाग का नाम:-खुर्दा रोड, तहसीलदार:-टाँगी						
क्रम सं.	गाँव का नाम	प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिग्रहित जमीन (एकड़ में)	भूमि मालिक का नाम
1	बत्तीसबाटिया	36	सरकारी	2.47	0.825	संरक्षित
2	बत्तीसबाटिया	37	सरकारी	0.346	0.077	सार्वजनिक
3	बत्तीसबाटिया	35	सरकारी	0.172	0.035	सार्वजनिक
4	बत्तीसबाटिया	38	निजी	0.08	0.031	अनंत चरण पाटसानी पिता का नाम उर्ध्व पाटसानी, जाति:ओड़, गाँव:नुआगड़ा
5	बत्तीसबाटिया	39	निजी	0.167	0.025	मधुसूदन पाटसानी पिता का नाम उदभ पाटसानी, जाति:खंडायत, गाँव:नुआगड़ा
6	नुआगड	677	सरकारी	2.14	1.05	संरक्षित अनाबादी
7	नुआगड	532	सरकारी	0.688	0.185	सार्वजनिक
8	नुआगड	507	सरकारी	1.61	0.1	दक्षिण-पूर्वी रेलवे
9	नुआगड	506	सरकारी	1.1	0.033	दक्षिण-पूर्वी रेलवे
10	नुआगड	505	सरकारी	2.97	0.08	दक्षिण-पूर्वी रेलवे
11	नुआगड	534/ 1637	सरकारी	0.03	0.025	सार्वजनिक
12	नुआगड	530	निजी	0.793	0.23	शंकर बारिक, शिखर बारिक पिता का नाम लोको बारिक, चक्रधर बारिक, मकर बारिक, फकीर बारिक पिता का नाम निलकंठ बारिक, जमुना

						बारिक पति का नाम निलकंठ बारिक, जाति:भंडारी, गाँव-नुआगडा
13	नुआगड	536	निजी	1.13	0.195	हरीहर चौधुरी, भागीरथी चौधुरी, बसंत कुमारी पात्र पिता का नाम अंतरज्यामी चौधुरी, नरसिंह चौधुरी पिता का नाम दंडपाणी चौधुरी, गाँव:नुआगडा
14	नुआगड	535	निजी	0.548	0.08	रामचन्द्र हरिचंदन, लक्ष्मण हरिचंदन पिता का नाम मगुनी हरिचंदन, भ्रमरा चौट्राय पिता का नाम कपिल चौट्राय, जाति:खंडायत, गाँव:नुआगडा
15	नुआगड	534	निजी	0.591	0.29	अभी सांतारा, शिखर संतरा पिता का नाम गिरिधारी सांतारा, सनातन मंगराज पिता का नाम शिवा मंगराज, जाति:खंडायत, गाँव:नुआगडा
				कुल		

[फा. सं. सीएओ/सीओएन/आरएसपी/बीबीएस/2025/आरओबी संख्या 221/20ए]  
महेंद्र पित्ताला, मुख्य अभियंता(निर्माण -III)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(East Coast Railway)

### NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 8th May, 2026

#### Notice under Section 20A of the Railways Act-, 1989

**S.O. 2709(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways(Amendment)Act,1989(24/89) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of Special Railway Project, namely, “Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned L.C.No.221 at KM.485/25-27 between Stations Nirakarpur(NKP)-Bhusandpur(BSDP) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division.” in Khurda district in the state of Odisha, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Competent Authority for Land Acquisition (CALA) & Tahasildar, Tangi for Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.No.221 at KM.485/25-27 between Stations Nirakarpur(NKP)-Bhusandpur(BSDP) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project, namely “Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.No.221 at KM.485/25-27 between Stations Nirakarpur(NKP)-Bhusandpur(BSDP) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division)” in Khurda district in the state of Odisha.

**Name of District:-Khurda****Annexure-I**

<b>LAND SCHEDULE</b>						
<b>Name of the Project:- Construction of ROB-221</b>						
<b>Name of the District:-Khurda, Name of the Division:-Khurda Road, Name of the Tahasil:-Tangi</b>						
<b>Sl. No.</b>	<b>NAME OF VILLAGE</b>	<b>PLOT No.</b>	<b>Type of Land</b>	<b>Total area in Acres</b>	<b>Acquired Area in ACRES</b>	<b>Name of the Land owner</b>
1	Batisbatia	36	Govt.	2.47	0.825	Protected
2	Batisbatia	37	Govt.	0.346	0.077	Public
3	Batisbatia	35	Govt.	0.172	0.035	Public
4	Batisbatia	38	Private	0.08	0.031	Anant Charan Pattshani S/o Urdhab Pattshani, Caste:Oda, Village: Nuagada
5	Batisbatia	39	Private	0.167	0.025	Madhusudan Pattshani S/o Udhav Pattshani, Caste:Khandayat, Village: Nuagada
6	Nuagada	677	Govt.	2.14	1.05	Protected Anabaadi
7	Nuagada	532	Govt.	0.688	0.185	Public
8	Nuagada	507	Govt.	1.61	0.1	South Eastern Railway
9	Nuagada	506	Govt.	1.1	0.033	South Eastern Railway
10	Nuagada	505	Govt.	2.97	0.08	South Eastern Railway
11	Nuagada	534/ 1637	Govt.	0.03	0.025	Public
12	Nuagada	530	Private	0.793	0.23	Shankar Barik, Sikhhar Barik S/o Loko Barik, Chakradhar Barik, Makar Barik, Fakir Barik S/o Nilakantha Barik, Jamuna Barik W/o Nilakantha Barik, Caste: Bhandari, Vill-Nuagada
13	Nuagada	536	Private	1.13	0.195	Harihara Choudhury, Bhagirathy Choudhury, Basanta Kumari Patra C/o Antarjyami Choudhury, Narasingh Choudhury S/o Dandapani Choudhury, Vill: Nuagada
14	Nuagada	535	Private	0.548	0.08	Ramachandra Harichandan, Laxman Harichandan S/o Maguni Harichandan, Bhramara Chottray S/o Kapil Chottaray, Caste:Khandayat, Vill:Nuagada
15	Nuagada	534	Private	0.591	0.29	Abhi Santara, Sikhhar Santara S/o Giridhari Santara, Sanatana Mangaraj S/o Shiba Mangaraj, Caste:Khandayat, Vill:Nuagada
				<b>TOTAL</b>		

[F. No. CAO/CON/RSP/BBS/2025/ROB No.221/20A/]

MAHENDRA PITTALA, Chief Engineer (Con-III)